

## आदेश

उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अन्तर्गत गठित जिला संचालन समिति, वाराणसी द्वारा प्रेषित संस्तुति पत्र दिनांक 18.08.2017 के द्वारा अवगत कराया गया है कि सुश्री पिकी पुत्री श्रीमती लक्ष्मीना, आयु 11 माह, निवासी नोहरीपुरा, थाना मछलीशहर, जनपद जौनपुर के साथ घटित बलात्कार की घटना के कारण चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करायी जानी है। जिला संचालन समिति, वाराणसी द्वारा प्रेषित संस्तुति पत्र में सुश्री पिकी पुत्री श्रीमती लक्ष्मीना के चिकित्सा हेतु सरसुन्दर लाल चिकित्सालय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के चिकित्सक डा० वैभव पाण्डेय द्वारा पीड़िता के उपचार में कुल रू० 70,000/- की धनराशि व्यय होने का आंगणन उपलब्ध कराया गया है।

जिला संचालन समिति, वाराणसी की स्वीकृति के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण उ०प्र० रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2015 के संलग्नक-1 के बिन्दु संख्या-12(ख)1 से अच्छादित है।

उक्त के दृष्टिगत नियमावली में दी गयी व्यवस्था के क्रम में सुश्री पिकी पुत्री श्रीमती लक्ष्मीना को आर्थिक सहायता हेतु सरसुन्दर लाल चिकित्सालय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी को एकमुश्त धनराशि रू० 70,000/- (रू० सत्तर हजार मात्र) का आर०टी०जी०एस० के माध्यम से स्थानान्तरित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त भुगतान निम्न विवरण के अनुसार किया जायेगा :-

खाता धारक का नाम	- कुलसचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।
बैंक का नाम एवं शाखा	- स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।
खाता सं०	- 10654904247
आई०एफ०एस० कोड	- SBIN0000211

इस निमित्त होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-49 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-आयोजनागत-103 महिला कल्याण-10-उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष-42 अन्य के अन्तर्गत किया जायेगा।

(संतोष कुमार यादव)

सचिव/विहित प्राधिकारी,

उ०प्र० रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष।

उ०प्र० रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, योजना भवन, उ०प्र० शासन।

पत्रांक 1043 / महिला सम्मान कोष / 2017-18

लखनऊ: दिनांक : 25 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ०प्र० रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला संचालन समिति, उ०प्र० राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन, वाराणसी।
5. सचिव, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ।
6. सचिव, जनपद विधिक सेवा प्राधिकरण, वाराणसी।
7. जिला परिचीक्षा अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला संचालन समिति, उ०प्र० राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन, महोबा।
8. कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
8. सुश्री पिकी पुत्री श्रीमती लक्ष्मीना, निवासी नोहरीपुरा, थाना मछलीशहर, जनपद जौनपुर।

(संतोष कुमार यादव)

सचिव/विहित प्राधिकारी,

उ०प्र० रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष।